

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बगैड़ा जिला भीलवाड़ा

पीतासीन अधिकारी निम्न विशुद्ध आरक्षण 2022

मुकदमा नम्बर - 255/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र



समान

- 1- किशनलाल पिता लादुलाल दशोगा निवासी बालापुड़ा तहसील बगैड़ा
- 2- छोटी पिता लादुलाल दशोगा निवासी बालापुड़ा तहसील बगैड़ा
- 3- देऊ पत्नी लादुलाल दशोगा निवासी बालापुड़ा तहसील बगैड़ा
- 4- नाबालिग बन्ती पिता लादुलाल दशोगा राजस्व माता देऊ पत्नी लादुलाल दशोगा निवासी बालापुड़ा तहसील बगैड़ा
- 5- बबली पिता लादुलाल दशोगा निवासी बालापुड़ा तहसील बगैड़ा
- 6- भैरूलाल पिता लादुलाल दशोगा निवासी बालापुड़ा तहसील बगैड़ा
- 7- सन्तोक पिता लादुलाल दशोगा निवासी बालापुड़ा तहसील बगैड़ा
- 8- सम्पत पिता लादुलाल दशोगा निवासी बालापुड़ा तहसील बगैड़ा

-प्रार्थीगण

बगैड़ा

- 1- भैरू पिता बक्षू दशोगा निवासी बालापुड़ा तहसील बगैड़ा
- 2- गोपाल पिता बक्षू दशोगा निवासी बालापुड़ा तहसील बगैड़ा
- 3- शाकेत पिता जी.एल. कानोडिया निवासी बी 62 सुरजमल बिहार दिल्ली हाल मुकाम सुल्तानकोण फेवरी रायसिंहपुर तहसील बगैड़ा
- 4- दयानन्द टेकराईल इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. मुखण्ड स एफ 238, मरुधर इण्डस्ट्रीजल एरिया फेस द्वितीय बासानी जोधपुर हाल रायसिंहपुर तहसील बगैड़ा
- 5- तहसीलदार बगैड़ा

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता पक्षी:- मुशरी जोशी

निर्णय

दिनांक :- 15/05/2023

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि माम रायसिंहपुर तहसील बगैड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1103, 1104, 1105, 1106, 1107 कुल कित्ता 5 एकड़ 1.2267 है 0 के खातेदार काश्तकार है। वादावस्त आराजिगत की भूमि को विपक्षीगण पक्षी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आगे दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कुषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आवेश प्रदान कराना जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी शकत् माम रायसिंहपुर तहसील बगैड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1103, 1104, 1105, 1106, 1107 कुल कित्ता 5 एकड़ 1.2267 है 0 भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थी अपने खाते की सक्त कुषि भूमि की पत्थरगढी कराने

21/5/23

के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र भास-114-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत आंशिक स्वीकार किया जाकर मौजा रायसिंहपुरा में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त की आराजीयात में से आराजी नम्बर 1103, 1104, 1105, 1106, 1107 कुल किता 5 रकबा 1.2267 है० होने से उक्त आराजियात की भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0आ0निरीक्षक बनेड़ा को 500/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न जावे अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु राक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं रथगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे। अतः तहसीलदार बनेड़ा जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15/05/2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट मुख्यालय बरण पर सुनाया गया।




(निरमा बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :-

तहसीलदार बनेड़ा को पारा भेजकर लेख है कि गुताविक आदेश पक्षकारान को नोटिस तामिल करा उनकी मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(निरमा बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

| तारीख हुक्म 255/2022 | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्ब अह. इस हु. तामील में हुए |
|-------------------------|---|---|
| 15.05.2023 | <p>पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के रांग अभियान 2023 केम्प के तहत केम्प कोर्ट बरण पर पेश हुई। प्रकरण को अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके पक्ष में प्रार्थी द्वारा ग्राम रायसिंहपुरा जमाबंदी संवत् तक की संलग्न की गयी है। प्रकरण मूल रूप से पत्थरगढी/सीमांकन से संबंधित होने से किसी अन्य खातेदारान/पड़ोसियान के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं न ही किसी प्रकार के हक अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी बाबत वर्णित तथ्यों से मेरा समाधान हो जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। आराजी नम्बर 1103, 1104, 1105, 1106, 1107 कुल किता 5 रकबा 1.2267 है0 दर्ज रेकार्ड होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा </p> | |